भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.301

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

धातु पुनर्चक्रण प्राधिकरण

†301 श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण फ्रेमवर्क, 2020 के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए धातु पुनर्चक्रण प्राधिकरण की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अलौह धातु स्क्रैप नीति फ्रेमवर्क, 2022 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्नवीनीकरण और द्वितीयक धातु की नीलामी के लिए ऑनलाइन बाजार मंच विकसित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अलौह धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण फ्रेमवर्क, 2020 में धातु पुनर्चक्रण प्राधिकरण (एमआरए) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की सहमति से, यह निर्णय लिया गया है कि एमआरए के विनियामक कार्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और अभिकल्प केंद्र (जेएनएआरडीडीसी), नागपुर, खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त शासी निकाय के माध्यम से खान मंत्रालय द्वारा संवर्धनात्मक और तकनीकी कार्य किए जाएंगे।

(ग) और (घ): ऑनलाइन ट्रेडिंग सहित फ्रेमवर्क की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप एक वेब पोर्टल विकसित करने का कार्य पहले ही शुरू हो गया है।

*****